

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनु
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीएसएम नं. - 2024/246

मुकदमा नम्बर 96/2024

दर्ज दिनांक-12.06.2024

विधाधर पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी पबाना, तहसील नवलगढ़, जिला झुझुनु
बनाम

1. सुरेश पुत्र रामनिवास जाति जाट निवासी ग्राम पबाना, तहसील नवलगढ़, जिला झुझुनु
2. भूमिधारक राज्य सरकार जरिए (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुझुनु

वकील आवेदक :- श्री प्रदीप कुमार झाझडिया

अनावेदक सं. 1 :- श्री अशोक कुमार जांगिड

अनावेदक सं. 2 :- पैरो. राज.

प्रार्थना-पत्र(पत्थरगढी) अन्तर्गत धारा 111,128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 26.05.2025

प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र प्रस्तुत किया कि, प्रार्थीगण का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम पबाना में स्थित प्रार्थी की भूमि खेत खसरा नं. 1483/245 रकबा 0.11 है० व अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 1480/245 की आपस में लगती सीमाओं पर स्थाई सीमाचिन्ह कायम करवाये जाने का आदेश फरमावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर तलबी अनावेदकगण की जारी की गई। अनावेदक सं. 2 की और से पैरो. राज. उपस्थित हो कोई उजर/एतराज व्यक्त नहीं किया। अनावेदक सं. 1 की और जरिये वकील जवाब प्रा. पत्र निम्न प्रकार से पेश किया गया:-

पटवारी हल्का ने आवेदक के साथ मिलकर मनमर्जी मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट प्रस्तुत की है राजस्व रिकार्ड में खसरा नं. खसरा नं. 1483/245,1480/245,1486/253 का कोई नजरी नक्शा अलग-अलग नहीं दर्शाया गया है। इसलिये श्रीमान् तहसीलदार नवलगढ़ के आदेश दिनांक 03.06.2024 को किया गया सीमाज्ञान अपूर्ण है जिससे किसी भी प्रकार की पत्थरगढी आदेश किया जाना उचित नहीं है। इसलिए प्रा. पत्र खारिज किया जावे। आवेदक बिना किसी नक्शे में तरमीम करवाये पत्थरगढी नहीं करवा सकता। प्रा. पत्र में वर्णित भूमि का कोई ट्रेस नक्शा राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है ऐसी स्थिति में न्यायालय श्रीमान् को पत्थरगढी करवाये जाने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिये प्रा. पत्र खारिज योग्य है।


बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रा. पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रा. पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रा. पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान वकूलान द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदक ने प्रा. पत्र के साथ दिनांक 03.06.2024 की फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश की है। पत्रावली पर प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों द्वारा तैयार की गई है। यद्यपि दिनांक 03.06.2024 को किया गया सीमाज्ञान राजस्व अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया है जिस पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है परन्तु यह भी स्पष्ट है कि उक्त सीमाज्ञान सीमावर्ती खातेदारों को बिना सुचित किये, बिना उनकी उपस्थिति के किया गया है। इसलिये तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, राजस्व ग्राम पबाना में स्थित प्रार्थी की भूमि खेत खसरा नं. 1483/245 रकबा 0.11 है० व अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 1480/245 की आपस में लगती सीमाओं पर सीमाज्ञान, सीमावर्ती काश्तकारों को

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुझुनु)

नोटिस दिये जाकर, उनकी उपस्थिति में पुनः किया जाकर, सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी निर्धारित शुल्क राजकोष में जमा कर, की जावे। तदनुसार पत्थरगढी कायम करवाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि, नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कर उक्त सम्बन्ध में जो भी हितबद्ध आवश्यक पक्षकार व खातेदार हो उनकी मौजूदगी में सीमाज्ञान करते हुये, पत्थरगढी करे। यदि आदेश की पालना हेतु आवश्यक हो तो पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त करली जावे, जिसका आवश्यक होने पर समस्त खर्चा आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 26/05/2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़
जिला बुधनू